प्रेस विज्ञप्ति

11.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने *नेक्सा एवरग्रीन* धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में श्री नेमीचंद के पुत्र सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत 10.08.2026 को गिरफ्तार किया है। *नेक्सा एवरग्रीन* धोखाधड़ी के मामले में रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में निवेशकों से 2,676 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की थी। सुभाष चंद्र बिजनोरिया को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों अर्थात 13.08.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के संबंध में राजस्थान पुलिस द्वारा नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के विरुद्ध दर्ज कई एफआईआर और दाखिल चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को यह झूठा विश्वास दिलाकर आकर्षित किया कि उनकी धनराशि गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में भूमि विकास और प्लॉटिंग परियोजनाओं में निवेश की जाएगी। निवेशकों को 60 सप्ताह तक 3% साप्ताहिक रिटर्न या प्लॉट आवंटित किए जाने का आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त, बहुस्तरीय रेफरल योजना के तहत नए निवेशकों को जोड़ने के लिए कमीशन तथा लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार सहित विभिन्न पुरस्कारों की पेशकश की गई।

ईडी की जांच में पता चला कि सुभाष चंद्र बिजनोरिया नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के प्रमुख योजनाकारों और संचालकों में से एक थे और रणवीर बिजनोरिया के साथ मिलकर पूरे धोखाधड़ी वाले ऑपरेशन पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। उन्होंने अपराध से अर्जित आगम की लेयरिंग और रूटिंग के लिए सहयोगियों और निवेशकों के नाम पर कंपनियों, एलएलपी, साझेदारी फर्मों और स्वामित्व प्रतिष्ठानों का एक जाल बनाया और संचालित किया। इन संस्थाओं और उनके बैंक खातों का व्यवस्थित रूप से निवेशकों से धन एकत्र करने, अंतर-खाता हस्तांतरण, पोंजी योजना की प्रकृति के अनुरूप पहले के निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करने तथा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया, जिससे धन के वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाया जा सके। जांच में यह भी पता चला कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, निवेशक प्रबंधन, बैंकिंग संचालन, संस्थाओं का निगमन तथा धन का डायवर्जन सभी उनके निर्देशों के तहत किया गया था।

इससे पहले भी इस निदेशालय द्वारा पीएमएलए की धारा 17 के तहत जून 2025 में जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में 25 स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 2.04 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ विभिन्न अपराध-संकेती अभिलेख और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। इसके अलावा, नेक्सा ग्रुप की विभिन्न संस्थाओं/सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों/क्रिप्टो खातों में लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि भी फ्रीज की गई थी।

आगे की जाँच जारी है।